

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सोनभद्र

सत्र परीक्षण सं०-502/2020

राज्य बनाम अखिलेश ठाकुर

18.12.2021

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकार पर पक्षगण उपस्थित। आज सी०बी०सी०आई०डी० की तरफ से धारा 319 दं०प्र०सं० के प्रार्थना पत्र के विरुद्ध अपना आक्षेप प्रस्तुत किया गया। यह बताया गया कि इसी मामले से सम्बन्धित अन्तिम रिपोर्ट के विरुद्ध प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोनभद्र में प्रस्तुत है और उसमें 24.12.2021 की तिथि आदेश हेतु नियत है।

न्यायालय के मत में इस न्यायालय में लंबित इस मामले में सुनवाई दिनांक 24.12.2021 के पश्चात किया जाना उचित है। अतः पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक 03.01.2022 को प्रस्तुत हो।

सत्र न्यायाधीश

18.12.2021